

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1222 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Gaurav Shrama

....Applicant

Versus

MoEF&CC & Ors

....Respondent(s)

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Affidavit Of District Magistrate Sambhal in compliance of order dated 14.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	ANNEXURE R-1 Copy of order dated 14.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal	
3.	ANNEXURE R-2 Copy of EIA Notification dated 28.03.2020	
4.	ANNEXURE R-3 A copy of letter (Government Order) dated 30 th August 2019 issued by the Director Mining and Geology	
5.	ANNEXURE R-4 Copies of Few Online applications Forms which have been received by the	

Redi
11-2

SP

32

	recorded Bhumidars of agricultural lands	
6.	ANNEXURE R-5 Copy of report dated 30-10-2024 submitted by the Mines Inspector District Sambhal	
7.	ANNEXURE R-6 A Copy of Government Order dated 01.05.2020 issued by the Secretary; Government of Uttar Pradesh	

FILED THROUGH

*Ankit Verma***(ANKIT VERMA)****STANDING COUNSEL STATE OF UP****A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013****MOB:- 0999080440****Email-ankit.scngtup@gmail.com**

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1222 OF 2024

IN THE MATTER OF:

Gaurav Shrama

...Applicant

Versus

MoEF&CC & Ors

...Respondent(s)

**AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE SAMBHAL IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 14.10.2024 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent Herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Dr. Rajender Pensiya aged about 41 years, S/o Asharafi Chand presently posted as District Magistrate District Sambhal, Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm as under: -

That I am above mentioned authorized officer of the answering Respondent and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the


M.T.





circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

1. That the Deponent has read and understood the contents of the present affidavit. The averments made in the Original Application which are not specifically admitted hereunder must be considered to have been denied by the Deponent
2. That the deponent is posted as District Magistrate Sambhal since 26th June 2024.
3. That this Hon'ble Tribunal in vide order dated 14.10.2024 was pleased to pass the following directions:

"3...In this OA, the Applicant has also questioned the mining permit that has been granted to Respondents No. 7 and 8 without a valid environmental clearance. The OA involves substantial issues relating to compliance of environmental norms....." A copy of order dated 14.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed herewith and marked as **Annexure R-1**

4. That the present affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 14.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.
5. That in the present Original Application, the Applicant has challenged the validity of item 3 of the Appendix IX of the EIA notification dated 28.03.2020 issued by the MoEF& CC which is the Respondent No.1 in the present Original Application.

M.S.

DP

CR

6. That further amongst the relief in the prayer the Applicant has sought that the Answering Respondent be directed to prohibit the mining permits of Respondent no.7 and 8 till a valid Environment Clearance is obtained.
7. That it is humbly submitted with respect to the validity of the item 3 of the Appendix IX of the EIA notification dated 28.03.2020 issued by the MoEF& CC, it is submitted that the said clause/item being the entry inserted by the Central Government, therefore the Answering Respondent is neither equipped nor authorised to respond/comment upon the wisdom of the Policy makers and at the same time it is submitted that the Answering Respondent is duty bound to act as per the existing legal provisions.
8. That the Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules 2021 were framed with a view to regulate the concession of minor minerals.
9. That the alleged permits to Respondent No. 7 & 8 have been issued under the enabling provisions of Rule 52 of the UP Minor Mineral (Concession) Rules 1963 (amended till date) which reads as-

52A [Procedure for Grant of Mining Permit on Agricultural Land.]

(1)Notwithstanding anything contained in Rule 72, the bhumidhar of agricultural land may apply for grant of mining permit for removal of sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state accumulated due to flood on his agricultural land in Form MM-8, in triplicate to the District Officer, accompanied by a fee of Rs 2000

(Rupees Two thousand) Only, and two copies of a cadastral Survey map on which the area, applied for, is clearly marked.

(2)The District Officer shall cause an enquiry, if deemed necessary, through concerned Tahsildar and Mines Officer/Mines Inspector on the following points -(a)Whether the sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these ill mixed state have been accumulated on the applied land due to floods;(b)Whether the name of the applicant/applicants is/are recorded as bhumidhars on the applied area;(c)Whether due to accumulation of sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state, the applicant/applicants is/are suffering loss on account of non-utilisation of such applied land;(d)Whether such land was utilise for agricultural purposes in the past 5 years;(e)Whether the quantity of the minor mineral, applied by the applicant, is available on the applied area.(f)Whether the applied area for mining permit is suitable for mining.

(3)In the light of aforementioned point wise report submitted by the Tahsildar/Mines Officer or Mines Inspector, as the case may be, the District Officer may grant the mining permit for a period not more than three months in a Fasli year in favour of the bhumidhar, after realising double the amount of royalty in advance.

10. That from the bare perusal of the aforesaid rule it becomes abundantly clear that the aforesaid short term permit is a permit under rule 52 which is only granted for the disposal of the sand accumulated over the land of farmers post flood.
11. That a such permit under rule 52 is typically issued for a specific period, usually for a short-term project or for a specific purpose (benefitting the recorded bhumidars for removing sand from their lands) It is granted for a limited duration and is often used for small-scale or temporary operations, whereas a long-term lease or long term permit is an agreement that grants the lessee the right to extract minor minerals from river bed on specific area for a specified period. Such leases are usually granted for a longer duration of time.
12. That the Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar vs. State of Haryana, (2012) 4 SCC 629 has observed :-
- 4.3 Period of Mine Lease: The period of lease varies from State to State depending on type of concessions, minerals and its end use. The minimum lease period is one year and maximum 30 years. Minerals like granite where huge investments are required; a period of 20 years is generally given with the provisions of renewal. **Permits are generally granted for***

short periods which vary from one month to a maximum one year. In States like Haryana, minor mineral leases are auctioned for a particular time period. Mining is considered to be capital intensive industry and considerable time is lost for developing the mine before it attains the status of fully developed mine. If the tenure of the mine lease is short, it would encourage the lessee to concentrate more on rapid exploitation of mineral without really undertaking adequate measures for reclamation and rehabilitation of mined out area, posing thereby a serious threat to the environment and health of the workers and public at large.

There is thus, a need to bring uniformity in the period of lease. It is recommended that a minimum period of mine lease should be 5 years, so that eco friendly scientific and sustainable mining practices are adopted. However, under exceptional circumstances arising due to judicial interventions, short term mining leases / contracts could be granted to the State Agencies to meet the situation arising there from.

13. That the permit granted to the Bhumidars of the agriculture land in terms of Rule 52(1) of the UP Minor Mineral Concession Rules, 2021 for extraction and removal of sand is of short duration i.e. maximum three months and is restricted to the specified land with ceiling

put on the quantity of minerals to be extracted and removed and is also confined to specific time period.

14. That it is submitted that above rule coupled with the item 3 in the Appendix IX of the EIA 2006 amended notification dated 28.03.2020 which states that the cases of flood deposits on the agriculture fields are exempted from seeking prior Environment Clearance. It is further submitted that the said notification does not contain any condition regarding quantity of sand to be removed and also the period within which the same is to be removed. The relevant provision of the said notification is reproduced as under-

APPENDIX-IX

"EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE"

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.

3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.

4.

A copy of the EIA notification dated 28.03.2020 is annexed as **ANNEXURE R-2**.

That serial no.20 of the Management of Sand Deposited after Flood on Agriculture Fields of Farmers and serial no.28 "Exemption of Certain Cases from being considered as Mining and Requirement of Environment Clearance of the Sustainable Sand mining Guidelines 2016 gives exemption from obtaining EC for removal of sand deposited after floods which reads as under-

The Standing Committee on Water Resources on issues, concerning flood management, compensation, and status of ownership of submerged and eroded land in the country including compensation to farmers for loss of their crops destroyed by floods and right to disposal of the sand left in the fields of farmers in its meeting held on 29.04.2015 made observations on this subject. The Committee observed that pursuant to Hon'ble Supreme Court of India decision in "Deepak Kumar Case" in 2012, regulations were framed by the Ministry of Mines to guide environmental clearance of minor minerals. The Committee, therefore, desires the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to work in close coordination with the Ministry of Mines and

Prk
H.I

MP

CR

Environment, Forest and Climate Change to frame regulations / Guidelines in this regard expeditiously. Mining of Sand The Committee further observed that due to the floods, the agricultural land of farmer is destroyed and rendered infertile. Further the farmer loses his livelihood as the produce of his land is destroyed by flood and become unsalable. The farmer is also deprived of the right of lifting sand from his land. He is therefore, left helpless and destitute and leave their land in search of job. The Committee observes that "mining operation" means any operation undertaken for the purpose of winning any mineral. Accordingly, if desilting is undertaken perse with the objective of winning a mineral then only it will be construed as a mining operation. Apparently, if the desilting is undertaken not for winning any mineral, it will not be construed as mining operation and therefore, the farmer can remove the sand from the land without requiring the requisite permits. However, the Committee strongly feels that the farmer be given the right to use and dispose-off the sand accumulated over their land post flood, by incorporating the necessary provisions in the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957". **Removal of sand from the agricultural field by the owner farmer of the land from environment point of view will not be considered as mining operation and its removal and disposal can be allowed without the requirement of environment**

clearance till it is done only to the extent of reclaiming the agricultural land. The sand deposited after flood only be removed, so no mining / digging below the ground level is allowed. For removing sand in case where private land has gone into the river due to erosion, the requirement of mining lease and environment clearance will continue. This operation of removal of sand of removal of sand deposited on agricultural field should be done after a mapping of deposition is done by the Land Management Committee of the Gram Panchayat. The sand so deposited post flood can be removed by the farmer owning the land / group of farmers affected by this post flood sand deposition or the Gram Panchayat. Customary rights to remove and dispose off the sand should be given to the farmer affected by deposition of sand on account of sudden flood in his agricultural land..

15. That the UP Minor Mineral Concession Rules 2021 was notified by the Government of Uttar Pradesh on 29th October 2021 adhering to the 2016 and 2020 guidelines and the Notifications issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change.

16. That the Director Geology and Mining Government of Uttar Pradesh vide its office letter (Government Order) no. 14/2020/2027/86-2019-57(Sa)/2017 dated 30th August 2019 laid down six conditions which are required to be fulfilled before grant of any mining permit (under Rule 52)

Handwritten signature
M.S.

Handwritten signature

Handwritten signature

on agriculture lands. The said letter was addressed to all the District Magistrates, with a direction to ensure that all the conditions are fulfilled as enumerated in the Government Order before grant of any such mining permit. A copy of letter (Government Order) dated 30th August 2019 is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**

17. That it is submitted that in District Sambhal in the year 2023-2024 (07) mining permits under rule 52 (three months) for removal of sand deposits on agriculture fields have been granted only on the applications (Form MM-8) which have been received by the recorded Bhumidars of agricultural lands. It is further submitted that all the applications were processed after a detailed report on the availability of sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state which have been accumulated on such land due to floods was submitted by the Tehsildar and the Mines Officer or Mines Inspector. As an example few copies of Online Applications Forms which have been received by the recorded Bhumidars of agricultural lands is annexed herewith and marked as **Annexure R-4.**

18. That it is further submitted that each MM-10 form lays down stringent conditions with regard to removal of sand deposits and decision to grant such permits and time

Handwritten signature
M.I.

Handwritten signature

Handwritten signature

prescribed for such removal is based on the reports submitted by the committee.

19. That the Applicant in the present Original Application is on one hand supporting the provisions of exemption from requirement of Environment Clearance in flood affected fields, whereas on the other hand is expressing his apprehension that proxy bidders will do the mining under the garb of permit. In this regard it is submitted that the mere apprehension is not sufficient to strike down a law.
20. That as a matter of fact no illegal sand mining was carried out in the alleged area on the basis of MM-10 permits which were issued by the deponent.
21. Furthermore the Applicant has not come up with any material or any instance to show that the removal of accumulated sand etc by farmers has degraded the quality of the land.
22. That it is most respectfully submitted that the deponent vide his endorsement dated 13.09.2024 directed the Mines Inspector District Sambhal to ascertain the allegations levelled in the written representation dated


M.I.





10.09.2024 which was submitted by the Applicant. In this regard it is most respectfully submitted that the site at Gata no. 319 measuring 0.91 hectare at village Hotamgari, Tehsil Gunnaur And site at Gata no. 104Mi measuring 0.6320 hectare village Zafarpur was inspected and it was found that no such illegal mining was taking place and there was no use of Poclain Machine or any digging machines at the site. Copy of report dated 30-10-2024 submitted by the Mines Inspector District Sambhal is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-5**.

23. That the EMGSM-2020 in Chapter no. 8.2 titled "Mining of Sand from Agricultural Fields" at internal page 46 states that the provision for sand mining in agricultural field may be permitted, whenever replenishment of sand occurs due to natural phenomena and that the permission may also be granted by competent authority (District administration) for excavation of sand/Soil from agricultural fields, after due diligence of this prevailing condition in order to avoid any unacceptable impact on the environment and nearby livelihood from agriculture provided objective of such excavation mining of Soil/Sand in limit increase the productivity of sand agricultural field.

[Handwritten signature]
M-2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24. That the short term permits under Rule 52 (1) of the UP Minor Mineral Concession Rules 2021 are issued only to the Bhumidhars of the Agriculture Lands and do not invite any bidders, where the sand etc has been deposited on account of flood and which has accumulated over time making the cultivation impossible by the farmers. It is further submitted that such permits are issued on MM-10 form which lays down stringent conditions with regard to removal of sand deposits manually and the duration of permission and quantity of material to be removed is decided on the basis of report by the concerned Tehsildar and Revenue Officer etc who assess the agriculture land and the amount of sand to be removed.

25. That it is respectfully submitted that involvement of sale of the removed material by the farmer does not ipso facto makes the sale as commercial. It is submitted that such sale is not subject to bidding which otherwise could have been considered as commercial. Theoretically, the sale could be distress sale also since the primary concern of the Farmer is to remove the sand which has accumulated on his agriculture land post floods immediately. It is submitted that context under which such sale is undertaken is important. That the sale is not

for generating any profit but for recovering the cost of royalty paid by the farmer. That the royalty is decided on the basis of the market value of the mineral and thus reduces any element of profit for such kind of permits. Further it is submitted at cost of repetition, that levying of double the royalty as a condition precedent, has been the wisdom of the policy makers.

26. That each MM-10 so issued lays down many conditions including environmental safeguards which have to be followed by the permit holder and violation of which invites legal action as per law.

27. That the State Government issued Government Order No.- 446/81-7-2020-39(PYA)/2014 T.C.-1 dated 01.05.2020 which was issued by Secretary, Govt of Uttar Pradesh directing all the District Magistrates to adhere to the Appendix IX (3) of the Notification dated 28.03.2020 issued by MoEF& CC, which states that for removal of deposited sand due to floods in agriculture field of farmers no Prior Environmental Clearance is required. The copy of Government Order dated 01.05.2020 issued by the Secretary; Government of Uttar Pradesh is annexed as **ANNEXURE R-6**.

Prakash
M-1

FD

[Signature]

28. That the Applicant has alleged that heavy machines are in use for the purpose of removal of the sand etc from the land of Respondent permit holders. It is respectfully submitted that the removal of sand has only been done with the help of Agriculture tractor/loader and no heavy machines/poelain has been used during such removal of sand. Therefore, it is submitted that any claim of illegal mining would be baseless in the absence of any material to show illegal mining has occurred in the garb of rule 52 permit.
29. That it is further submitted herein that the respondent permit holders have already completed their term of permits and have removed the flood accumulated material from their land and thus the prayer (b) of the Original Application has become infructuous.
30. Therefore, in terms of existing rules and notifications laid down by the competent authorities, the Answering Respondent could not have imposed any conditions beyond what is required and which is beyond his scope. Therefore, the Prayer part of the Original Application which, as a matter of principle, demands the requirement of Environment Clearance for subject matter permits is not tenable in light of the existing provision of law.

Abhi
M-I

FD

1

R

31. That the deponent most humbly submits before this Hon'ble Tribunal that the District Administration Sambhal is very conscious and vigilant about grant of short term mining permits and its misuse. The State Government undertakes before this Hon'ble Tribunal that it will leave no stone unturned in ensuring that the provision of Rule 52 of UP Minor Mineral concessions Rules, 2021 is not violated by the recorded bhumidar, and removal of sand deposits from agricultural lands is done within the ambit of Provisions of Rule 52 of the UP Minor Mineral Concession Rules 2021 and strictly following the notifications issued by the MoEF & CC.



DEPONENT

Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this day of 02 December, 2024.



DEPONENT

Bank
m. 1



IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 1222 OF 2024



IN THE MATTER OF:

Gaurav Shrama

....Applicant

Versus

MoEF&CC & Ors

....Respondent(s)

AFFIDAVIT

I, **Dr. Rajender Pensiya S/o Asharafi Chand** aged about 41 years presently posted as District Magistrate Sambhal, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under-

- 1. That I am fully acquainted with the facts and circumstances and records of the case and thus competent to swear the present affidavit.
- 2. That the contents of the accompanying reply have been prepared under my instructions and have been understood by me and I declare the same to be true and correct to my knowledge of facts and law.

3. The contents as stated above are true and correct to my knowledge and belief.

Verification

It is verified at Sambhal on 02 December, 2024 that the contents of the present application are true and correct and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT

23/12/2024 को सवे 10 बजे श्री बाबून लाल पण्डेय के व्यक्तिगत कार्यालय में शपथपत्र के अंतर्गत निम्नलिखित शपथपत्र को पढ़ाया गया और प्रमाणित किया गया कि यह शपथपत्र सच और सही है।

शपथकर्ता का नाम: बाबून लाल पण्डेय
 पता: [Blank]
 पेशे: [Blank]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

43A 490526



Item No.08

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 1222/2024
(I.A. No. 492/2024, I.A. No. 493/2024)

Gaurav Sharma

Applicant

Versus

MoEF&CC & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 14.10.2024

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Applicant: Mr. Tanay Tewari, Adv. for Applicant (Through VC)

Respondent: Ms. Priyanka Swami, Adv. for R - 1 to 3 & 6
Mr. Ankit Verma, Adv. for R - 5

ORDER

1. In this original application, the Applicant has questioned clause 3 of Appendix-IX of EIA Notification dated 28.03.2020 whereby exemption has been granted from the requirement of environmental clearance in respect of removal of sand deposits on agricultural fields after flood by the farmers. The submission of Counsel for the Applicant is that in the garb of exemption under clause 3, the illegal sand mining is in progress, the sand mining permits are issued without any environmental clearance and the mechanized mining is done by mis-utilising the exemption clause-3.

2. Counsel for the Applicant has also submitted that the Hon'ble Supreme Court in the matter of *Nobel M. Paikada vs. Union of India* by order dated 21.03.2024 has not approved clause 6 of the Appendix-IX of the EIA Notification giving exemption to the linear projects. We also find

that the Patna High Court in Civil Writ Jurisdiction Case No. 11181/2021 by order dated 07.03.2024 in the matter of *Abhay Kumar vs. Union of India & Ors.* has set aside clause 13 of the Appendix-IX. It has also been pointed out that somewhat similar issue is involved in the OA No. 462/2023 and OA No. 481/2023 wherein the Coordinate Bench on 04.10.2024 has passed the following order:

*“xxxxxx
4. In the meantime, we also clarify that no mining operations shall be allowed by issuing permission in the name of short term permit, long term permit, mining lease, mining license etc. by any authority unless compliance of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006, as amended from time to time, is observed and Environmental Clearance is obtained by concerned Proponent(s).”*

3. In this OA, the Applicant has also questioned the mining permit that has been granted to Respondents No. 7 and 8 without a valid environmental clearance.

4. The OA involves substantial issues relating to compliance of environmental norms.

5. Ms. Priyanka Swami, Advocate accepts notice on behalf of Respondents No. 1, 2, 3 and 6. Mr. Ankit Verma, Advocate accepts notice on behalf of Respondent No. 5.

6. Let notice be issued to the other respondents for filing the reply by way of affidavit. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

7. List along with OA No. 462/2023 and OA No. 481/2023 on 04.12.2024.

8. In view of the interim order passed in OA No. 462/2023, no separate interim order in this OA is necessary.

Prakash Shrivastava, CP

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

October 14, 2024
Original Application No. 1222/2024
(I.A. No. 492/2024, I.A. No. 493/2024)
dv..

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1224(E).—WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10th day of January, 2020 and, *inter alia*, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006);

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29th November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier:

Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.”;

(ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

“(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.”;

(iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-

“APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.
6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.
10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.
11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.
12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.
13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity.”

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended vide the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;

संख्या -2027/86-2019-57(सा0)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सगरसा जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक : 30 अगस्त, 2019

विषय- भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम/बजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली जुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश सं0-2883/86-2017-198/2011टीसी-1. दिनांक 02 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52क में कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम को हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। अधिसूचना सं0-1868/86-2019-57(सा0)/2017, दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 का नियम-52क निम्नवत् है:-

52क- कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया:-

(1) नियम-72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम0एम0-8 पर तीन प्रतियों में ₹0-2000/- (रुपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिन्हांकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच करा सकता है -

(क) क्या बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली जुली अवस्था में हो, आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए हैं,

(ख) क्या आवेदक/आवेदकों का/के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है/हैं;

(ग) क्या बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हों के जमाव के कारण आवेदक/आवेदकगण आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहा/रहे हैं;

(घ) क्या ऐसी भूमि विगत 05 वर्षों में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी;

- (ड) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है;
 (घ) क्या खनन अनुज्ञा पत्र का आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है?
 (3) ऊपर उल्लिखित तहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसाकि अभिप्रेत हो, कि विन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फराली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत कर सकता है।
 (4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन स्वीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

2. अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधर कृषकों को अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मीसम या बजरी या बोल्टर या इग्ने से कोई भी, जो गिलीजुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रश्नगत नियमावली के उपरिलिखित प्राविधानों और उपखनिजों के परिवहन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अद्यतन निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा० रीशन जैकब)
 विशेष सचिव।

संख्या- (1)/86-2019-57(सा०)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ को उनके पत्र सं०-799/एम-1ए 15/2019 (VII) दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०।
4. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ)।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(हृदय नारायण सिंह यादव)
 अनु सचिव।

Bhoomidhar/ Agricultural Land (Rule 52)

आवेदन क्रमांक :- 2024/3/1/324675

आवेदक :-

आवेदक का नाम - ANUPADHA

पिता का नाम - W/O VIKAS

जनपद - SAMBHAR

तहसील - GUNNAUR

आवेदक का पता - Plot No. 20, Na. Bashi, Tehsil: Gunnaur, District:

Sambhal-202522

लिंग - FEMALE

आवेदक का मोबाइल - 8850269424

आवेदक का ईमेल -

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम - बालू

खनिज की मात्रा - 18,200.00 (घन मी.)

खनन का प्रयोजन -

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है - 3(माह)0(दिन)

आवश्यक अभिलेख:-

1. आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

2. आवेदन सूक्त के बालान अपलोड (बालान नं० AKV/240005541)

3. भूकर सौंपण मानचित्र (खसरा मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो

4. आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतोनी अपलोड

5. आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

खान अधिकारी निरीक्षण दस्तावेज :-

अनुशसित है/हो/नहीं) - हाँ

दिनांक - 28-05-2024

टिप्पणी -ok

खनिज की उपलब्धता(हाँ/नहीं) - हाँ

पट्टे की अवधि - 3(माह) 0(दिन)

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि - ₹ 0.00

खान अधिकारी रिपोर्ट

अनुज्ञा पत्र :-

तारीख :- 25-06-2024

टिप्पणी :-

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00

अनुज्ञा पत्र



एल० ओ० ऑय० :-

एल० ओ० ऑय० नं० - 2024/6/1/324675 Date - 01-06-2024

Remark:- LOI Digitally Signed.

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि - 0.00

एल० ओ० ऑय०

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज़ :-

आपलोड दिनांक

दिनांक -

क्या आवेदक का/आवेदक का नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलेखित हो(हाँ/नहीं) - हाँ

प्रस्तावित क्षेत्र से 50 मीटर के अन्दर कोई सार्वजनिक भवन, जलाशय, मंदिर, तलाब, टॉवर, जंगल, पूरणत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है? - (हाँ/नहीं) - नहीं

टिप्पणी:- राजस्व निरीक्षक अख्या सस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

तहसीलदार की रिपोर्ट

14-03-2024

15-03-2024

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	ANURADHA W/O VIKAS	GUNNAUR	HOTAMGARHI KHAM	319		0.9100	

दापस



MINI MITRA

कार्यालय जिलाधिकारी, Sambhal

(खनन-अनुभाग)

भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर वाढ के कारण जमा उपखनिजों को
हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञति
नियम ५२ के अंतर्गत



संख्या: NOC/KB/2024/3/1/324675

दिनांक: 25-06-2024

आवेदक एवं अवधि

अनुज्ञतिधारी का नाम	Anuradha	अनुज्ञतिधारी का पता	R/o- 20, Nai Basti, Tehsil- Gunnaur, District Sambhal-202522
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 25-06-2024 से 23-09-2024 तक		

उपखनिज का विवरण

अनुज्ञति उपखनिज	अनुज्ञति मात्रा
Ordinary sand Category I	17000.00 घन मी०

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Sambhal	Gunnaur	HOTAMGARHI KHAM	319	0.9100

आवेदक द्वारा अनुलप्रक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक-1

अनुज्ञा पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

- 1 अनुज्ञा पत्र धारक सड़क किये गये नयी बनिजों का तथा रस्तेगा और एकरतंत्र प्रतिनियुक्ति अधिकारी का गेमे लेनो का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- 2 30प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 नियम 41 (3) का पालन किया जायेगा।
- 3 वाइ से आग हुए खनिजों को हटाने की अवधि 03 माह अथवा अनुमोदिन खनन योजना प्र दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही वैध रहेगा।
- 4 अनुमोदिन खनन योजना में दी गयी शर्तों का प्रभावी पालन किया जायेगा।
- 5 03 माह की अवधि में कोर्ट विन्नाह भी अनुमन्य नहीं होगा।
- 6 परिवहन विभाग द्वारा नियम मानकों के अन्तर्गत ही खनिजों का परिवहन किया जायेगा।
- 7 शासनादेश संख्या 1407/86-2017-107 (सामान्य) मूलतः एक बनिजकर्म अनुभाग, तखनक दिनांक 11 जुलाई, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ई अग्रिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनो को जारी किया जायेगा।
- 8 खनन/परिवहन कार्य 30 प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित शर्तों/आविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 9 अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10 अनुज्ञा पत्र धारक, निर्धारित प्रपत्र E एम0एम0-11 से खनिजों का परिवहन करायेगा तथा सम्बन्धित विवरण पत्र एम0एम0-9 पर रखेगा एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- 11 अनुज्ञा पत्र धारक किसी सार्वजनिक निर्माण को क्षति नहीं पहुँचायेगा।
- 12 खनन अनुज्ञा पत्र धारक किसी तीमरंग पक्ष के दावे की अतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे उसके उत्पन्न होंतें ही स्वयं निक्षेपित करेगा।
- 13 अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह या स्वीचूनि मात्रा जो पहले मसाम हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।
- 14 अनुज्ञा पत्र धारक समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित-स्वामित्व राजस्व जमा करने के लिए वाध्य होगा।
- 15 अनुज्ञा पत्र धारक भेरी मीनि से खनन सक्रियायें कलंगा विममें कोई मडक, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुँचे।
- 16 यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायन्टी और जमा रायन्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर अनुज्ञा पत्र धारक के अनुज्ञा पत्र में 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
- 17 अनुज्ञापत्रधारक आवेदित स्थल में उपरी मतद पर जमा उपखनिज को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार इटाएगा।
- 18 यदि खनन करते समय खनन स्थल से कोई अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी/जिला खनन अधिकारी कार्यालय, Sambhal को देगा तत्पश्चात् उपखनिज की मात्रा एवं रायन्टी का अंकनन कर आवेदक से रायन्टी के रूप में वसूली की जायेगी।
- 19 यदि अनुज्ञा पत्र धारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायन्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर अनुज्ञा पत्र धारक के विरुद्ध MOEF की सुसंगत धाराओं, 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
- 20 जिलाधिकारी द्वारा दी गई अवधिक शर्तों का पालन हेतु अनुज्ञापत्रधारक वाध्य होगा।

आवेदक :-

आवेदक का नाम - KRANTI
 पिता का नाम - GANCA SETHI
 जनपद - SAMBHAL
 तहसील - GUNNAUR
 आवेदक का पता - VILLAGE LAWAR TEHSIL GUNNAUR
 DISTT SAMBHAL
 लिंग - MALE
 आवेदक का मोबाइल - 8755458222
 आवेदक का ईमेल -

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम - बालू
 खनिज की मात्रा - 17,00,00 क्यूमी

खनन का प्रयोजन -

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है - 3(माह)0(दिन)

आवश्यक अभिलेख:-

- 1 आवेदन शर्तक के बालान अपलोड (बालान नं० AKV240012306)
- 2 भूकत सर्वेक्षण सांकेतिक (जलसरा/जलविज्ञान) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो
- 3 आवेदित भूकत जलसरा/जलविज्ञान अपलोड
- 4 आवेदक भूस्वामी का फोटो/पता प्रदान पत्र अपलोड

खान अधिकारी निरीक्षण दस्तावेज :-

अनुज्ञप्ति हे (हाँ/नहीं) - हाँ
 दिनांक - 21-08-2024
 टिप्पणी - 0
 खनिज की उपलब्धता (हाँ/नहीं) - हाँ
 पट्टे की अवधि - 3(माह) 0(दिन)
 एत० ओ० ऑफ० के बाद जमा करने की राशि - २0.00
 अनुज्ञाप अधिकारी रिपोर्ट

अनुज्ञा पत्र :-

तारीख :- 13-09-2024
 टिप्पणी :-
 एत० ओ० ऑफ० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00
 अनुज्ञा पत्र



एत० ओ० ऑफ० :-

एत० ओ० ऑफ० नं० :- 2024/8/24/356778 Date:-24-08-2024
 Remark:-LOI Digitally Signed.
 एत० ओ० ऑफ० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00
 एत० ओ० ऑफ०

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज़ :-

आपलौड दिनांक
 दिनांक

15-06-2024

15-06-2024

क्या आवेदक का/आवेदकों के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है (हाँ/नहीं):-हाँ
 प्रस्तावित क्षेत्र से ५० मीटर के अन्दर कोई सार्वजनिक, भवन, जलाशय, मंदिर, तलाब, टॉवर, जंगल, पूरणत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है? -हाँ/नहीं:-नहीं
 टिप्पणी:-ना०नि० अख्यया प्रेषित
 तहसीलदार की रिपोर्ट

क्षेत्र का विवरण:-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	KRANTI, CHANDRAHAS,MEGH SINGH,SHRI DEVI	GUNNAUR	LAWAR	322, 323		0 ०500	

वापस



UP **MINES MITRA**

कार्यालय जिलाधिकारी, Sambhal

(खनन-अनुभाग)

भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर वाइड के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति नियम ५२ के अंतर्गत



संख्या: NOC/KB/2024/5/28/356778

दिनांक: 13-09-2024

आवेदक एवं अवधि

अनुज्ञप्तिधारी का नाम KRANTI

अनुज्ञप्तिधारी का पता VILLAGE LAWAR TEHSIL GUNNAUR DISTT SAMBHAL

अनुज्ञा की अवधि अवधि 13-09-2024 से 11-12-2024 तक

उपखनिज का विवरण

अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Ordinary sand Category I	7800.00 घन मी०

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Sambhal	Gunnaur	LAWAR	322, 323	0.6500

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक-1

अनुज्ञा पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. अनुज्ञा पत्र धारक गृहस्थ नियम गरीब शैक्षणिक सेवा तथा स्वयंसेवा और एकरस प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी का ऐमै नैबो का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
2. 30प्र0 उपखनिज (परिष्कार) नियमावली 1963 नियम 41 (3) का पालन किया जायेगा।
3. बाह्य में आए हुए खनिजों को हटाने की अवधि 03 माह अथवा अनुमोदित खनन योजना में दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही वैध रहेगा।
4. अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों का प्रभावी पालन किया जायेगा।
5. 03 माह की अवधि में कोई विस्तार भी अनुमत्य नहीं होगा।
6. परिवहन विभाग द्वारा नियत मात्रा के अन्तर्गत ही खनिजों का परिवहन किया जायेगा।
7. माननादय नम्बरा 1407/86-2017-107 (सामान्य) मूल्य एक चक्रिक अनुभाग, तयनरु दिनांक 11 जुलाई, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ई अगिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनों को जारी किया जायेगा।
8. खनन/परिवहन चार्ज 30 प्र0 उपखनिज (परिष्कार) नियमावली, 1963 तथा समय-समय पर निर्गत आगनादेशों में निहित शर्तों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
9. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा 30प्र0 उपखनिज (परिष्कार) नियमावली, 1963 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अनुज्ञा पत्र धारक, निर्धारित प्रपत्र E एम0एम0-11 में खनिजों का परिवहन करायेगा तथा सम्बन्धित विवरण पत्र एम0एम0-9 पर रखेगा एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐमै नैबो का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
11. अनुज्ञा पत्र धारक किसी सार्वजनिक निर्माण को क्षति नहीं पहुंचायेगा।
12. खनन अनुज्ञा पत्र धारक किसी भी प्रकार के दावों की क्षतिपूर्ति करना रहेगा और इन प्रकार के दावों के उत्पन्न होने ही स्वयं निश्चित करेगा।
13. अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह या स्वीकृति मात्रा जो पहले समाप्त हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।
14. अनुज्ञा पत्र धारक समय-समय पर धामन द्वारा निर्धारित-स्वामित्व राजस्व जमा करने के लिए बाध्य होगा।
15. अनुज्ञा पत्र धारण ऐसी रीति में खनन गतिवाये करेगा जिसमें कोई मड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।
16. यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पद में जल कर अनुज्ञा पत्र धारक के अनुज्ञा पत्र में 30प्र0 उपखनिज (परिष्कार) नियमावली-1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
17. अनुज्ञापत्रधारक आवेदित स्थल में उपरी सतह पर जमा उपखनिज को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटायगा।
18. यदि खनन करने समय खनन स्थल में कोई अन्य उपखनिज निकलता है तो उनकी सूचना जिलाधिकारी/जिला खनन अधिकारी कार्यालय, Sambhal को देगा तत्पश्चात् उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आंकलन कर आवेदक ने रायल्टी के रूप में बगुली की जायेगी।
19. यदि अनुज्ञा पत्र धारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पद में जल कर अनुज्ञा पत्र धारक के विरुद्ध MOEF की सुसंगत धाराओं, 30प्र0 उपखनिज (परिष्कार) नियमावली, 1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
20. जिलाधिकारी द्वारा दी गई अनिश्चित शर्तों का पालन हेतु अनुज्ञापत्रधारक बाध्य होगा।

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- PREM LATA
 पिता का नाम :- W/O DHARMPAL SINGH
 जनपद :- SAMBHAL
 तहसील :- GUNNAUR
 आवेदक का पता :- 4 Mohalla No. B+ Police Station
 Gunnaur, Sambhal, U.P.
 लिंग :- FEMALE
 आवेदक का मोबाइल :- 7459012263
 आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम:- बॉक्साइट
 खनिज की मात्रा :- 7110.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन:-

अवधि जिसके लिए अनुसूचित अपेक्षित है :- 3(मास/दिन)

आवश्यक अभिलेख:-

- 1 आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पत्रबान पत्र अपलोड
- 2 आवेदन शुल्क के आदान अपलोड (बालान नं०: AKY/240011725)
- 3 भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (खसरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो
- 4 आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतोनी अपलोड
- 5 आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पत्रबान पत्र अपलोड

खान अधिकारी निरीक्षण दस्तावेज :-

अनुसूचित हेतु(हाँ/नहीं) :- हाँ
 दिनांक :- 02/07/2024
 नियोग :- OP
 खनिज की उपस्थिति(हाँ/नहीं) :- हाँ
 पट्टे की अवधि :- 3(मास/दिन)
 एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- ₹ 20.00
 खान अधिकारी रिपोर्ट

अनुज्ञा पत्र :-

तारीख :- 23-09-2024
 टिप्पणी :-
 एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00
 अनुज्ञा पत्र



एल० ओ० ऑय० :-

एल० ओ० ऑय० नं० :- 2024/7/8/351977 Date:- 08-07-2024
 Remark:- LOI Digitally Signed.
 एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00
 एल० ओ० ऑय०

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज :-

अपलोड दिनांक:-

दिनांक:-

क्या आवेदक का/ आवेदकों के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है?(हाँ/नहीं):- हाँ
 प्रस्तावित क्षेत्र से 4० मीटर के अन्दर कोई सार्वजनिक भवन, जलाशय, मंदिर, तलाब, टॉवर, जंगल, पूरणत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है? -(हाँ/नहीं)-नहीं
 टिप्पणी :- गणित आख्या सादर प्रेषित है
 तहसीलदार की रिपोर्ट

31-05-2024

03-06-2024

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर मे)	अवस्थान
1	PREM LATA W/O DHARMPAL SINGH	GUNNAUR	HOTAMGARHI KHAM	319/381		0.3950	

वापस



UP MINES MITRA

कार्यालय जिलाधिकारी, Sambhal

(खनन-अनुभाग)

भूमिधरी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर वाइक के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति नियम ५२ के अंतर्गत



संख्या: NOC/KB/2024/5/21/351977

दिनांक: 23-09-2024

आवेदक एवं अवधि

अनुज्ञप्तिधारी का नाम	Prem Lata	अनुज्ञप्तिधारी का पता	4. Mohalla Nai Basti Police Station, Gunnaur, Sambhal, U.P
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 23-09-2024 से 21-12-2024 तक		

उपखनिज का विवरण

अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Ordinary sand Category I	7110.00 घन मी०

भूमिधरी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Sambhal	Gunnaur	HOTAMGARHI KHAM	319/381	0.3950

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक-1

अनुज्ञा पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. अनुज्ञा पत्र धारक सड़क किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
2. उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 1963 नियम 41 (ड) का पालन किया जायेगा।
3. सड़क में आम हुए खनिजों को हटाने की अवधि 03 माह अथवा अनुमोदित खनन योजना में दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही वैध रहेगा।
4. अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों का प्रभावी पालन किया जायेगा।
5. 03 माह की अवधि में कोई विस्तार भी अनुमत्य नहीं होगा।
6. परिवहन विभाग द्वारा नियत मानकों के अनुसार ही खनिजों का परिवहन किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या 1407/86-2017-107 (सामान्य) भूतन्त्र एवं खनिकर्मा अनुभाग, तबनाऊ दिनांक 11 जुलाई, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ई अखिलहन प्रपत्र (एम०एम०-11) खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनो को जारी किया जायेगा।
8. खनन/परिवहन कार्य उ० प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित शर्तों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
9. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अनुज्ञा पत्र धारक, निर्धारित प्रपत्र E एम०एम०-11 में खनिजों का परिवहन करायेगा तथा सम्बन्धित विवरण पत्र एम०एम०-9 पर रखेगा एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
11. अनुज्ञा पत्र धारक किसी सार्वजनिक निर्माण को क्षति नहीं पहुँचायेगा।
12. खनन अनुज्ञा पत्र धारक किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और उस प्रकार के दावे उसके उत्पन्न होने ही स्वयं निक्षेपित करेगा।
13. अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह या स्वीकृति मात्रा जो पहले समाप्त हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।
14. अनुज्ञा पत्र धारक समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित-स्वामित्व राजस्व जमा करने के लिए बाध्य होगा।
15. अनुज्ञा पत्र धारण ऐसी गति से खनन मक्रियाये करेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुँचे।
16. यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा गारण्टी और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर अनुज्ञा पत्र धारक के अनुज्ञा पत्र में उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
17. अनुज्ञापत्रधारक आवेदित स्थल में उपरी सतह पर जमा उपखनिज को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटाएगा।
18. यदि खनन करते समय खनन स्थल में कोई अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी/जिला खनन अधिकारी कार्यालय, Sambhal को देगा तत्पश्चात् उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आंकलन कर आवेदक से रायल्टी के रूप में वसूली की जायेगी।
19. यदि अनुज्ञा पत्र धारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा गारण्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर अनुज्ञा पत्र धारक के विरुद्ध MOEF की सुसंगत धाराओं, उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
20. जिलाधिकारी द्वारा दी गई अतिरिक्त शर्तों का पालन हेतु अनुज्ञापत्रधारक बाध्य होगा।

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- LARENDRA

पिता का नाम :- JAUHPI

जनपद :- SAMBHAL

तहसील :- GUNNAUR

आवेदक का पता :- VILLAGE SHARIPUR TEHSIL GUNNAUR

DISTT SAMBHAL

जिला :- MALE

आवेदक का मोबाइल :- 7906943939

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम :- बालू

खनिज की मात्रा :- 8000.00 (घन मी०)

खनन का प्रयोजन :-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :- 30 महीने/दिन

आवश्यक अभिलेख:-

❑ आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

❑ आवेदन पत्र के बताने अपलोड बताने नं० AKV240012615

❑ भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (चस्सा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो

❑ आवेदित क्षेत्र की खसरा/बतौनी अपलोड

❑ आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

खान अधिकारी निरीक्षण दस्तावेज :-

अनुमति हे (हाँ/नहीं) :- हाँ

दिनांक :- 30-07-2024

टिप्पणी :- ok

खनिज की उपलब्धता (हाँ/नहीं) :- हाँ

पट्टे की अवधि :- 3 महीने (दिन)

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- ₹ 0.00

❑ खान अधिकारी रिपोर्ट

अनुज्ञा पत्र :-

तारीख :- 24-08-2024

टिप्पणी :-

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00

❑ अनुज्ञा पत्र



एल० ओ० ऑय० :-

एल० ओ० ऑय० नं० :- 2024/7/31/358473 Date:- 31-07-2024

Remark:- LOI Digitally Signed.

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00

❑ एल० ओ० ऑय०

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज :-

अपलोड दिनांक :-

दिनांक :-

क्या आवेदक का/आवेदकों का नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है (हाँ/नहीं) :- हाँ

प्रस्तावित क्षेत्र से 50 मीटर के अंदर कोई सार्वजनिक भवन (जलसंधारण प्रकल्प, तलाब, टॉवर, जगत, पुरातत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है) :- हाँ/नहीं :- नहीं

टिप्पणी :- गाँव जगहमा नादर प्रेषित

❑ तहसीलदार की रिपोर्ट

14-06-2024

14-06-2024

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर मे)	अवस्थान
1	LARENDRA,TARENDRA SINGH,KAMLESH	GUNNAUR	JAFARPUR	104MI		0.6320	

वापस



UP MINE MITRA

कार्यालय जिलाधिकारी, Sambhal

(खनन-अनुभाग)

भूमिधारी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर वाह के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति नियम ५२ के अंतर्गत



संख्या: NOC/KBI/2024/5/31/358473

दिनांक: 24-08-2024

आवेदक एवं अवधि

अनुज्ञप्तिधारी का नाम	LARENDRA	अनुज्ञप्तिधारी का पता	VILLAGE SHAHPUR TEHSIL GUNNAUR DISTT SAMBHAL
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 24-08-2024 से 22-11-2024 तक		

उपखनिज का विवरण

अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Ordinary sand Category I	8000.00 घन मी०

भूमिधारी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Sambhal	Gunnaur	JAFARPUR	104MI	0.6320

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक-1

अनुज्ञा पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. अनुज्ञा पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
2. 30व0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 नियम 41 (ए) का पालन किया जायेगा।
3. बाह में आम दृष्ट खनिजों को हटाने की अवधि 03 माह अथवा अनुमोदित खनन योजना में दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही वैध रहेगा।
4. अनुमोदित खनन योजना में दी गयी अन्तों का प्रभावी पालन किया जायेगा।
5. 03 माह की अवधि में कोई चिन्तार भी अनुमत्य नहीं होगा।
6. परिवहन विभाग द्वारा नियत मानकों के अनुरूप ही खनिजों का परिवहन किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या 1407/86-2017-107 (सामान्य) मूल्य एवं खनिकर्म अनुभाग, नवम्बर दिनांक 11 जुलाई, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ई अगिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनों को जारी किया जायेगा।
8. खनन/परिवहन कार्य 30 प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय-समय पर निर्यत शासनादेशों में निहित शर्तों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
9. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा 30व0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अनुज्ञा पत्र धारक, निर्धारित प्रपत्र E एम0एम0-11 में खनिजों का परिवहन करायेगा तथा सम्बन्धित विवरण पत्र एम0एम0-9 पर लभेगा एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
11. अनुज्ञा पत्र धारक किसी सार्वजनिक निर्माण को धति नहीं पहुंचायेगा।
12. खनन अनुज्ञा पत्र धारक किसी तीसरे पक्ष के दावों की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावों उसके उत्पन्न होने ही स्वयं निक्षेपित करेगा।
13. अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह या स्वीकृति मात्रा जो पहले समाप्त हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।
14. अनुज्ञा पत्र धारक समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित-स्वाभिव्य राजस्व जमा करने के लिए वाध्य होगा।
15. अनुज्ञा पत्र धारण ऐसी रीति से खनन नक्रियायें करेगा जिसमें कोई मझक, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे धति न पहुंचे।
16. यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्ज कर अनुज्ञा पत्र धारक के अनुज्ञा पत्र में 30व0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तगत कार्यवाही किया जायेगा।
17. अनुज्ञापत्रधारक आवेदित स्थल में उपरी सतह पर जमा उपखनिज को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटाएगा।
18. यदि खनन करते समय खनन स्थल में कोई अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना विनाधिकारी/जिला खनन अधिकारी कार्यालय, Sambhal को देगा तत्पश्चात् उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आंकलन कर आवेदक से रायल्टी के रूप में वसूली की जायेगी।
19. यदि अनुज्ञा पत्र धारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्ज कर अनुज्ञा पत्र धारक के विरुद्ध MOEF की सुसंगत धाराओं, 30व0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तगत कार्यवाही किया जायेगा।
20. विनाधिकारी द्वारा दी गई अनिश्चित शर्तों का पालन हेतु अनुज्ञापत्रधारक वाध्य होगा।

आवेदक :-

आवेदक का नाम :- ASHOK KUMAR

पिता का नाम :- GAADHAR

जनपद :- SAMBHAL

तहसील :- GUNNAUR

आवेदक का पता :- VILLAGE ASADPUR TEHSIL GUNNAUR

DISTRICT SAMBHAL

सिंग :- MALE

आवेदक का मोबाइल :- 9555146946

आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका पार्श्व खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम :- गंधक

खनिज की मात्रा :- 100000 टन मात्र

खनन का प्रयोजन:-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञापति अर्पित है :- 3(माह)दिन

आवश्यक अभिलेख:-

❑ अंतिम शतक के गतान अप्लोड (खानान नं० AKV240014357)

❑ भूकर संचयन मानचित्र (खसरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो

❑ आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतानी अप्लोड

❑ आवेदक भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अप्लोड

खान अधिकारी निरीक्षण दस्तावेज :-

अनुशासित है/हाँ/नहीं :- हाँ

दिनांक :- 16-08-2024

टिप्पणी :- OK

खनिज की उपलब्धता(हाँ/नहीं) :- हाँ

पट्टे की अवधि :- 3(माह) 0(दिन)

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 20.00

❑ खान अधिकारी रिपोर्ट

अनुज्ञा पत्र :-

तारीख :- 08-09-2024

टिप्पणी :-

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00

❑ अनुज्ञा पत्र



एल० ओ० ऑय० :-

एल० ओ० ऑय० नं० :- 2024/8/22/370311 Date:- 22-08-2024

Remark:- LOI Digitally Signed.

एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00

❑ एल० ओ० ऑय०

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज :-

अपलोड दिनांक:-

दिनांक:-

क्या आवेदक का/आवेदकों के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है(हाँ/नहीं):- हाँ

प्रस्तावित क्षेत्र से 50 मीटर के अंदर कोई सार्वजनिक भवन, जलाशय, मंदिर, तलाब, टॉवर, जंगल, पूरुषत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है/ हाँ/नहीं:- नहीं

टिप्पणी:- स०नि० आख्य सेवा में सादर प्रेषित

❑ तहसीलदार की रिपोर्ट

28-08-2024

28-08-2024

क्षेत्र का विवरण:-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	ASHOK KUMAR, SHYAMWATI, SUNIL KUMAR	GUNNAUR	ASADPUR	122MI, 122MI		0.6700	

सापस



कार्यालय जिलाधिकारी, Sambhal

(खनन-अनुभाग)

भूमिधारी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञति नियम ५२ के अंतर्गत



UP **MINES MITRA**

संख्या: NOC/KB/2024/6/20/370311

दिनांक: 08-09-2024

आवेदक एवं अवधि

अनुज्ञतिधारी का नाम	ASHOK KUMAR	अनुज्ञतिधारी का पता	VILLAGE ASADPUR TEHSIL GUNNAUR DISTRICT SAMBHAL
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 08-09-2024 से 06-12-2024 तक		

उपखनिज का विवरण

अनुज्ञति उपखनिज	अनुज्ञति मात्रा
Ordinary sand Category I	10000.00 घन मी०

भूमिधारी/कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Sambhal	Gunnaur	ASADPUR	122MI, 122MI	0.6700

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

Digitally signed by Rajender Pansiya
Date: 08 Sep 2024 08:51:27

Sambhal

अनुलग्नक-1

अनुज्ञा पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

- 1 अनुज्ञा पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनिधुनि-प्राधिकारी को गेमे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- 2 30प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 1963 नियम 41 (3) का पालन किया जायेगा।
- 3 बाट से आण हुए खनिजों को हटाने की अवधि 03 माह अथवा अनुमोदित खनन योजना में दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही वैध रहेगा।
- 4 अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों का प्रभावी पालन किया जायेगा।
- 5 03 माह की अवधि में कोई विन्नाह भी अनुमन्य नहीं होगा।
- 6 परिवहन विभाग द्वारा नियत मानकों के अनुरूप ही खनिजों का परिवहन किया जायेगा।
- 7 शासनादेश संख्या 1407/86-2017-107 (सामान्य) भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, नवम्बर दिनांक 11 जुलाई, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ई अग्रियहन प्रपत्र (एम0एम0-11) खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनों को जारी किया जायेगा।
- 8 खनन/परिवहन कार्य 30 प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित शर्तों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 9 अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10 अनुज्ञा पत्र धारक, निर्धारित प्रपत्र E एम0एम0-11 में खनिजों का परिवहन करानेगा तथा सम्बन्धित विवरण पत्र एम0एम0-9 पर रखेगा एवं प्रतिनिधुक्त अधिकारी को गेमे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- 11 अनुज्ञा पत्र धारक किसी सार्वजनिक निर्माण को क्षति नहीं पहुंचायेगा।
- 12 खनन अनुज्ञा पत्र धारक किसी तीसरे पक्ष के दावे की अतिपूर्ति करना रहेगा और इस प्रकार के दावे उसके उत्पन्न होने ही स्वयं निक्षेपित करेगा।
- 13 अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह या स्वीकृति मात्रा जो पहले समाप्त हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।
- 14 अनुज्ञा पत्र धारक समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित-स्वामित्व राजस्व जमा करने के लिए बाध्य होगा।
- 15 अनुज्ञा पत्र धारण गेमी रीति से खनन गतिविधियाँ करेगा जिसमें कोई मटक, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुंचे।
- 16 यदि अनुज्ञापत्रधारक गी गमी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा राबन्दी और जमा राबन्दी राज्य सरकार के पक्ष में जन्म कर अनुज्ञा पत्र धारक के अनुज्ञा पत्र में 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की मुसंगत धाराओं के अन्तगत कार्यवाही किया जायेगा।
- 17 अनुज्ञापत्रधारक आवेदित स्थल से उपरी मतलब पर जमा उपखनिज को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार हटाएगा।
- 18 यदि खनन करने समय खनन स्थल से कोई अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी/जिला खनन अधिकारी कार्यालय, Sambhal को देगा तत्पश्चात् उपखनिज की मात्रा एवं राबन्दी का आकलन कर आवेदक से राबन्दी के रूप में वसूली की जायेगी।
- 19 यदि अनुज्ञा पत्र धारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा राबन्दी राज्य सरकार के पक्ष में जन्म कर अनुज्ञा पत्र धारक के विरुद्ध MOEF की मुसंगत धाराओं, 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की मुसंगत धाराओं के अन्तगत कार्यवाही किया जायेगा।
- 20 जिलाधिकारी द्वारा दी गई अनिच्छित शर्तों का पालन हेतु अनुज्ञापत्रधारक बाध्य होगा।

...Agricultural Land (Rule 52)

आवेदक :-
 आवेदक का नाम - GYANWALI
 पिता का नाम - CHARIDE S PAI
 जनपद - SAMBHAR
 तहसील - CUNHABUR
 आवेदक का पता - ...
 लिंग - MALE
 आवेदक का मोबाइल - 9536257123
 आवेदक का ईमेल -

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है :-
 खनिज का नाम :- बालू
 खनिज की मात्रा :- 1100000 (एन मी०)
 खनन का प्रयोजन :-
 अवधि जिसके लिए अनुज्ञापत्र अपेक्षित है :- 36500 (दि०)

आवश्यक अभिलेख :-
 1 आवेदन शूल्क के बिलान अपलोड (बिलान नं० AKV/240015613)
 2 धुंकर सर्वेक्षण मानचित्र (असरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो
 3 आवेदित क्षेत्र की असरा/स्तानी अपलोड
 4 आवेदक मुखामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

खान अधिकारी निरीक्षण दस्तावेज :-

अनुशसित है/हो/नहीं) हाँ
 दिनांक :- 14-08-2024
 टिप्पणी :- OK
 खनिज की उपलब्धता (हाँ/नहीं) :- हाँ
 पट्टे की अवधि :- 3 (माह) 0 (दिन)
 एल० ओ० ऑफ० के बाद जमा करने की राशि :- ₹0.00
 खान अधिकारी रिपोर्ट

अनुज्ञा पत्र :-

तारीख :- 08-09-2024
 टिप्पणी :-
 एल० ओ० ऑफ० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00
 अनुज्ञा पत्र



एल० ओ० ऑफ० :-

एल० ओ० ऑफ० नं० :- 2024/8/15/376792 Date:- 15-08-2024
 Remark:- LOI Digitally Signed.
 एल० ओ० ऑफ० के बाद जमा करने की राशि :- 0.00
 एल० ओ० ऑफ०

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज :-

अपलोड दिनांक :-
 दिनांक :-
 क्या आवेदक का/ आवेदकों के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है/हो/नहीं) :- हाँ
 पसंजित क्षेत्र से 40 मीटर के अन्दर कोई सार्वजनिक भवन, जलाशय, मंदिर, तलाब, टैंकर, जंगल, पुरातत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है? :- हाँ/नहीं) :- नहीं
 टिप्पणी :- गाँव/ना आराम सादर प्रेषित है
 तहसीलदार की रिपोर्ट

22-07-2024
 28-07-2024

प्रश्न आपत्ति दस्तावेज :-

टिप्पणी
 1 आवेदन में खाताधारकों के विरुद्ध का विवरण पृथक रूप में स्पष्ट करें। 2 sabhi khatedaro ki knatauni upload kare. 3. sabhi khatedaro ki sahmali/anaapatti upload kare.
 दस्तावेज
 Other

Date:- 07-08-2024

प्रश्न का प्रतिक्रिया दस्तावेज :-

टिप्पणी
 दस्तावेज
 Other

Date:- 08-08-2024

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामिनी का नाम	तहसील	ग्राम	असरा संख्या	गांवा संख्या/खाण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्थान
1	G... ..	CUNHABUR	ARITHAL	953422/67405	0/5500		

आपस



कार्यालय जिलाधिकारी, Sambhal

(खनन-अनुभाग)

भूमिधारी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति नियम ५२ के अंतर्गत



UP **MINES MITRA**

संख्या: NOC/KB/2024/7/9/376792

दिनांक: 08-09-2024

आवेदक एवं अवधि

अनुज्ञप्तिधारी का नाम	Gyanwati	अनुज्ञप्तिधारी का पता	Village Arthal post hironi tehsil gunnaur distt sambhal up
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 08-09-2024 से 06-12-2024 तक		

उपखनिज का विवरण

अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Ordinary sand Category I	11000.00 घन मी०

भूमिधारी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Sambhal	Gunnaur	ARTTHAL	455 472 467 466	0.7000

आवेदक द्वारा अनुलप्रक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक-1

अनुज्ञा पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. अनुज्ञा पत्र धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का सैद्धांतिक संख्या और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
2. 30प्र0 उप खनिज परिहार नियमावली 1963 नियम 41 (ड) का पालन किया जायेगा।
3. यात्रा से आए हुए खनिजों को इटाने की अवधि 03 माह अथवा अनुमोदिन खनन योजना में दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही वेध रहेगा।
4. अनुमोदिन खनन योजना में दी गयी शर्तों का पत्राधीन पालन किया जायेगा।
5. 03 माह की अवधि में कोई विन्नाश ही अनुमन्य नहीं होगा।
6. परिवहन विभाग द्वारा नियत मानका के अनुसार ही खनिजों का परिवहन किया जायेगा।
7. शासनादेश संख्या 1407/86-2017-107 (सामान्य) भूतत्व एवं खनिकर्मा अनुभाग, लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ई अखिलक प्रपत्र (एम0एम0-11) खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनों को जारी किया जायेगा।
8. खनन/परिवहन कार्य 30 प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित शर्तों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
9. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अनुज्ञा पत्र धारक, निर्धारित प्रपत्र E एम0एम0-11 में खनिजों का परिवहन करायेंगा तथा सम्बन्धित विवरण पत्र एम0एम0-9 पर रखेगा एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
11. अनुज्ञा पत्र धारक किसी सार्वजनिक निर्माण को अति नहीं पहुँचायेगा।
12. खनन अनुज्ञा पत्र धारक किसी तीसरे पक्ष के दावे की अतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे उसके उत्पन्न होने ही स्वयं निक्षेपित करेगा।
13. अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह या स्वीकृति मात्रा जो पहले समाप्त हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।
14. अनुज्ञा पत्र धारक समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित-स्वामित्व राजस्व जमा करने के लिए वाध्य होगा।
15. अनुज्ञा पत्र धारण ऐसी गीनि से खनन सक्रियणें करेगा जिससे कोई मंडक, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे अति न पहुँचे।
16. यदि अनुज्ञापत्रधारक की गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जम्मा कर अनुज्ञा पत्र धारक के अनुज्ञा पत्र में 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
17. अनुज्ञापत्रधारक आवेदित स्थल से उपरी मतलब पर जमा उपखनिज को अनुमोदिन खनन योजना के अनुसार इटायेंगा।
18. यदि खनन करने समय खनन स्थल में कोई अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी मूचना जिनाधिकारी/जिना खनन अधिकारी कार्यालय, Sambhal को देगा तत्पश्चात् उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का अंकलन कर आवेदक ने रायल्टी के रूप में भरूनी की जायेगी।
19. यदि अनुज्ञा पत्र धारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जम्मा कर अनुज्ञा पत्र धारक के विरुद्ध MOEF की सुसंगत धाराओं, 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
20. जिनाधिकारी द्वारा दी गई अतिरिक्त शर्तों का पालन हेतु अनुज्ञापत्रधारक वाध्य होगा।

आवेदक :-

आवेदक का नाम - MURARI
 पिता का नाम - HAR PRASAD
 जनपद - SAMBHAL
 तहसील - GUNNAUR
 आवेदक का पता :- VILLAGE JAFARPUR TEHSIL
 GUNNAUR DISTT SAMBHAL
 लिंग - MALE
 आवेदक का मोबाइल :- 8650420879
 आवेदक का ईमेल :-

खनिज जिसका प्रार्थी खनन करना चाहता है:-

खनिज का नाम - बलू
 खनिज की मात्रा:- 8000.00 (चौन मी०)

खनन का प्रयोजन:-

अवधि जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है :- 3(माह)0(दिन)

आवश्यक अभिलेख:-


- ❑ आवेदन शुल्क के वातान अपलोड (वातान नं० AKV240016044..)
- ❑ भूकर सर्वेक्षण मानचित्र (खसरा/मानचित्र) जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित हो
- ❑ आवेदित क्षेत्र की खसरा/खतोनी अपलोड
- ❑ आवेदक/भूस्वामी का फोटोयुक्त पहचान पत्र अपलोड

खान अधिकारी निरीक्षण दस्तावेज :-

अनुज्ञप्ति है?(हाँ/नहीं) :- हाँ
 दिनांक :-23-08-2024
 टिप्पणी :-ok
 खनिज की उपलब्धता?(हाँ/नहीं) :- हाँ
 पट्टे की अवधि :- 3(माह) 0(दिन)
 एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :- ₹0.00
 ❑खान अधिकारी रिपोर्ट

अनुज्ञा पत्र :-

तारीख :-10-09-2024
 टिप्पणी :-
 एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :-0.00
 ❑अनुज्ञा पत्र



एल० ओ० ऑय० :-

एल० ओ० ऑय० नं० :- 2024/8/23/378160 Date:-23-08-2024
 Remark:-LOI Digitally Signed.
 एल० ओ० ऑय० के बाद जमा करने की राशि :-0.00
 ❑एल० ओ० ऑय०

तहसीलदार की रिपोर्ट का दस्तावेज़ :-

अपलोड दिनांक:-

दिनांक:-

क्या आवेदक का/आवेदकों के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है?(हाँ/नहीं):-हाँ

प्रस्तावित क्षेत्र से ५० मीटर के अन्दर कोई सार्वजनिक, भवन, जलाशय, मंदिर, तलाब, टॉवर, जंगल, पूरणत्व विभाग की इमारत आदि नहीं है? -(हाँ/नहीं):-नहीं

टिप्पणी:-रा०नि० आख्या सादर प्रेषित।
 ❑तहसीलदार की रिपोर्ट

05-08-2024

06-08-2024

क्षेत्र का विवरण :-

#	भूस्वामी/भूस्वामियों का नाम	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	गादा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)	अवस्था
1	MURARI PRAKASH MUNISH MOHAR SINGH	GUNNAUR	RUKNABAD	89		0.5500	



MINES MITRA

कार्यालय जिलाधिकारी, Sambhal

(खनन-अनुभाग)
भूमिधारी कृषिकीय भूमि (नियम ५२) पर बाढ़ के कारण जमा उपखनिजों को
हटाने के लिए खनन हेतु अनुज्ञप्ति
नियम ५२ के अंतर्गत



संख्या: NOC/KBI/2024/7/18/378160

दिनांक: 10-09-2024

अनुज्ञप्तिधारी का नाम	MURARI	आवेदक एवं अवधि	
अनुज्ञा की अवधि	अवधि 10-09-2024 से 08-12-2024 तक	अनुज्ञप्तिधारी का पता	VILLAGE JAFARPUR TEHSIL GUNNAUR DISTT SAMBHAL

उपखनिज का विवरण	
अनुज्ञप्ति उपखनिज	अनुज्ञप्ति मात्रा
Ordinary sand Category I	8000.00 घन मी०

भूमिधारी/ कृषिकीय भूमि (नियम ५२) हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति

जनपद	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
Sambhal	Gunnaur	RUKNABAD	89	0.5500

आवेदक द्वारा अनुलग्नक-1 की शर्तों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुलग्नक-1

अनुज्ञा पत्र की शर्तें निम्नवत हैं।

1. अनुज्ञा पत्र धारक सड़क किनारे गरीबों के खनिजों का खेड़ा रखेगा और एक्टर्ड प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे खेड़ों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
2. 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 नियम 41 (ग) का पालन किया जायेगा।
3. धारक से प्राप्त हुए खनिजों को स्टॉक की अवधि 03 माह अथवा अनुमोदित खनन योजना में दी गयी मात्रा जो भी पहले पूर्ण हो, तक ही बेध रहेगा।
4. अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों का प्रभावी पालन किया जायेगा।
5. 03 माह की अवधि में कोई विस्तार भी अनुमत्त नहीं होगा।
6. परिवहन विभाग द्वारा नियत मानकों के अनुरूप ही खनिजों का परिवहन किया जायेगा।
7. शानताद्वय संख्या 1407/86-2017-107 (सामान्य) मूल्य एवं खनिकर्म अनुभाग, मध्य प्रदेश दिनांक 11 जुलाई, 2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ई अग्रिवहन प्रपत्र (एम0एम0-11) खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनों को जारी किया जायेगा।
8. खनन/परिवहन चार्ज 30 प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 तथा समत-समय पर निर्गत शानताद्वयों में विहित शर्तों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
9. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान एवं खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. अनुज्ञा पत्र धारक, निर्धारित प्रपत्र E एम0एम0-11 में खनिजों का परिवहन करायेंगा तथा सम्बन्धित विवरण पत्र एम0एम0-9 पर रखेगा एवं प्रतिनियुक्त अधिकारी को ऐसे खेड़ों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
11. अनुज्ञा पत्र धारक किसी सार्वजनिक निर्माण को क्षति नहीं पहुँचायेगा।
12. खनन अनुज्ञा पत्र धारक किसी तीसरे पक्ष के दावों की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावों उसके उत्पन्न होने ही स्वयं निक्षेपित करेगा।
13. अनुज्ञा पत्र की अवधि 03 माह या स्वीकृति मात्रा जो पहले समाप्त हो अनुज्ञा पत्र की अवधि मानी जायेगी।
14. अनुज्ञा पत्र धारक समय-समय पर शानत द्वारा निर्धारित-स्वामित्व राजस्व जमा करने के लिए बाध्य होगा।
15. अनुज्ञा पत्र धारक ऐसी गति से खनन नकियाये करेगा जिसमें कोई गड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गुहादि सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े या उसे क्षति न पहुँचे।
16. यदि अनुज्ञापत्रधारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायव्दी और जमा रायव्दी राज्य सरकार के पक्ष में जल कर अनुज्ञा पत्र धारक के अनुज्ञा पत्र में 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
17. अनुज्ञापत्रधारक अवेदित स्थल में उपरी सतह पर जमा उपखनिज को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार इटाएगा।
18. यदि खनन करते समय खनन स्थल से कोई अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी/जिला खनन अधिकारी कार्यालय, Sambhal को देना तत्पश्चात् उपखनिज की मात्रा एवं रायव्दी का अंकन कर आवेदक में रायव्दी के रूप में बसूली की जायेगी।
19. यदि अनुज्ञा पत्र धारक दी गयी शर्तों का उल्लंघन करता है अथवा विवाद की स्थिति पैदा करता है तो अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायव्दी राज्य सरकार के पक्ष में जल कर अनुज्ञा पत्र धारक के विरुद्ध MOEF की सुसंगत धाराओं, 30प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 तथा खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही किया जायेगा।
20. जिलाधिकारी द्वारा दी गई प्रतिनियुक्त शर्तों का पालन हेतु अनुज्ञापत्रधारक बाध्य होगा।

To,

1. The Principal Secretary, Department of Geology and Mining, Uttar Pradesh, Lucknow
2. The Director, Directorate of Geology and Mining, Uttar Pradesh, Lucknow
3. The District Magistrate, Sambhal
4. Chairman, State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh
5. Member Secretary, State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh

Subject: Regarding illegal mining being carried out by agricultural land mining permit holders without valid Environmental Clearance in District Sambhal.

- APR 10 2023
1. That the applicant is a resident of District Bulandshahr and is an agriculturalist by profession.
 2. That two agricultural permits have been granted by the District Magistrate, Sambhal under Rule 52 of the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concession) Rules, 2021 which are as follows:

- i. Gata/Khasra No. 319 situate in Village Hotamarhi Kham Tehsil Gunnar, District Sambhal admeasuring 0.9100 hectare with allotted quantity of 17,000 cubic meter in favour of Anuradha
- ii. Gata No./Khasra No. 104Mi situate in Village Jafarpur Tehsil Gunnar, District Sambhal admeasuring 0.6120

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including the name 'Sambhal' and some illegible scribbles.

प्रेषक,

खान निरीक्षक
सम्भल।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सम्भल (बहजोई)।

पत्रांक : 254(2)/खनन/2023-24

दिनांक:-30/10/24

विषय:-

अनुज्ञाधारक द्वारा बिना पर्यावरणीय मंजूरी के कृषि भूमि पर सा0 बालू के खनन किये जाने हेतु श्री गौरव शर्मा निवासी- ग्राम-रजपुरा, जनपद-बुलन्दशहर की प्राप्त शिकायत सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि श्री गौरव शर्मा निवासी-ग्राम-रजपुरा जनपद-बुलन्दशहर द्वारा दिनांक:-12.09.2024 को प्राप्त शिकायती पत्र की बिन्दुवार निस्तारण आख्या निम्नवत् है:-

1. उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 52 के अर्न्तगत तहसील-गुन्नौर ग्राम-होतमगढ़ी खाम के गाटा संख्या-319/0.9100 हे0, पर 17000 घनमीटर सा0 बालू के खनन हेतु खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है, तथा ग्राम-जाफरपुर के गाटा संख्या-104मि0/0.6320 हे0 पर 8000 घनमीटर सा0 बालू के खनन हेतु खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया गया है। उक्त खनन कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित खनन योजना दिनांक:-13.06.2024 एवं दिनांक:-20.08.2024 के अनुसार निर्धारित जियो कार्डिनेट्स के अर्न्तगत ही पाया गया।
2. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना 28 मार्च 2020 तथा शासनादेश संख्या 446/81-7-2020-39 (पर्या)/2014 टी0सी0-1 दिनांक 01 मई 2020 के बिन्दु संख्या 03 में उल्लेखित है, कि किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् बालू के जमाव को हटाने हेतु पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गयी।(संलग्नक-1 व 2)
3. उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 52 तथा शासनादेश संख्या 2027/86-2019-57(सा0)/2017 दिनांक 30 अगस्त 2019 में भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मौरम/बजरी/बोल्डर या इनमे से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञा पत्र की स्वीकृत के निर्देश दिये गये है। (संलग्नक-3)
4. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा किसी भी प्रकार की जे0सी0बी0 व पॉकलेन मशीन का उपयोग बालू खनन में नहीं किया गया है।

5. पेनड्राइव में दिये गये विडियोज के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा एग्रीकल्चर लोडर (ट्रैक्टर) का उपयोग सा0 बालू को वाहनों में लोड करने के लिये किया गया है। ना कि किसी भी प्रकार के जे0सी0बी0 मशीन का।
6. भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अध्याय-5 में दिनांक:-13.06.2024 एवं दिनांक:-20.08.2024 के अनुसार एग्रीकल्चर लोडर (ट्रैक्टर) का उपयोग करने हेतु अनुमोदन किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उक्त आवेदन को निक्षेपित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


20/10/24
(मो0 हलीम)
खान निरीक्षक,
सम्भल।



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942

No. 1088]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्बाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंतःस्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैन्युअल निकासी;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिकांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।”;

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज वाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।”

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैन्युअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैन्युअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किमानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का मंनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर-2189 (68) / 5 - सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।
12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. ऐमे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[फा. सं. जेड-11013 / 47 / 2018-आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्पूर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 जून, 2019;
40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020;
41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ०प्र० शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु०-7

लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2020

विषय-पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई०आई०ए० अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपडित अधिसूचना सं०-1224 (अ) दिनांक 28-03-2020 के परिशिष्ट-9 में निम्न क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े,लैम्प, खिलौने,आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों,तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं०-जीयू/90(16)/एमसीआर-2189(68)/5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू- पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी रिथति से निपटा जा सके।
13. "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"
- 2- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-3204/86-2014-278-2011 दिनांक 22-10-2014 (उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 37वाँ संशोधन 2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:-
- "ईंट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड्ढों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी"
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई०आई०ए० अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली (37वाँ संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईंट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

W.S.
(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या-446(1)/81-7-2020-39(पया)/2014 टी०सी०-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

प्रेषक,

डा० रोशन जैकन,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सगरत जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक : 30 अगस्त, 2019

विषय- भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम/दजरी/बोल्डर या इनमें से कोई भी, जो मिली जुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु खनन अनुज्ञापत्र की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश सं०-2883/86-2017-198/2011टीसी-1, दिनांक 02 नवम्बर, 2017 द्वारा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम-52क में कृषि भूमि के भूमिधर द्वारा भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू/मोरम को हटाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। अधिसूचना सं०-1868/86-2019-57(सा०)/2017, दिनांक 13.08.2019 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली-2019 का नियम-52क निम्नवत् है-

52क- कृषिकीय भूमि पर खनन अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने की प्रक्रिया:-

- (1) नियम-72 में किसी बात के होते हुए कृषि भूमि का भूमिधर अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मोरम या दजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, को हटाने के लिये खनन अनुज्ञापत्र की स्वीकृति हेतु प्रपत्र एम०एम०-8 पर तीन प्रतियों में ₹०-2000/- (रुपये दो हजार) मात्र की फीस एवं भू-कर सर्वेक्षण मानचित्र की दो प्रतियां, जिसमें आवेदित क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नंकित हो, में आवेदन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।
- (2) जिलाधिकारी यदि आवश्यक समझे तब सम्बन्धित तहसीलदार और खान अधिकारी/खान निरीक्षक के द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जाँच करा सकता है -
 - (क) क्या बालू या मोरम या दजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, आवेदित भूमि पर बाढ़ के कारण जमा हुए हैं.
 - (ख) क्या आवेदक/आवेदकों का/के नाम आवेदित क्षेत्र में भूमिधर के रूप में अभिलिखित है/हैं;
 - (ग) क्या बालू या मोरम या दजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो के जमाव के कारण आवेदक/आवेदकगण आवेदित क्षेत्र के उपयोग न किये जाने पर क्षति वहन कर रहा/रहे हैं;
 - (घ) क्या ऐसी भूमि विगत 05 वर्षों में कृषि कार्य हेतु उपयोग की जा रही थी;

- (ड.) क्या आवेदक द्वारा उपखनिज की आवेदित मात्रा आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध है;
 (घ) क्या खनन अनुज्ञा पत्र का आवेदित क्षेत्र खनन हेतु उपयुक्त है?
 (3) ऊपर उल्लिखित राहसीलदार/खान अधिकारी या खान निरीक्षक जैसाकि अभिप्रेत हो, कि बिन्दुवार आख्या के प्रकाश में जिलाधिकारी एक फराली वर्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये भूमिधर के पक्ष में स्वामित्व की दो गुनी धनराशि को अग्रिम रूप में जमा कराकर खनन अनुज्ञा पत्र रचीकृत कर सकता है।
 (4) सिवाय उपरिलिखित उपबन्धों के इस नियमावली के अन्य उपबन्ध, इस नियम के अधीन रचीकृत खनन अनुज्ञा पत्र पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

2. अतः चर्चित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूमिधर कृषकों को अपनी कृषि भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से कोई भी, जो मिलीजुली अवस्था में हो, को हटाकर भूमि को कृषि योग्य बनाने हेतु प्रश्नगत नियमावली के उपरिलिखित प्राविधानों और उपखनिजों के परिवहन आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अद्यतन निर्देशों के अनुसार अनुज्ञा-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का वाक्य करें।

भवदीय

(डा० रोशन चौकब)
 विशेष सचिव।

संख्या- (1)/86-2019-57(सा०)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ को उनके पत्र सं०-799/एम-1ए 15/2019 (VII) दिनांक 19.08.2019 के संदर्भ में।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०।
4. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक (द्वारा-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, लखनऊ)।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से.

(हृदय नारायण सिंह यादव)
 अनु सचिव।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

संख्या :- एम०-ख०यो०अनुज्ञा पत्र(कृषिकीय भूमि) / 2024/8/7/392160

दिनांक :- 2024-08-20

श्री Larendra के द्वारा जनपद- Sambhal, तहसील-Gunnaur, ग्राम-Jafarpur, गाटा सं०-104 Mi क्षेत्रफल- 0.6320 हे० में भूमिधरणी कृषिकीय भूमि पर जमा साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), को हटाने हेतु 03 माह की खनन अनुज्ञा पत्र के लिए प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (यथासंशोधित) के नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेश दिनांक 2024-08-20 द्वारा कर दिया गया है।

- (अ) "खनन योजना" का अनुमोदन खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि के लिए किया जाता है। स्वीकृत क्षेत्र से अनुज्ञा अवधि 03 माह में अधिकतम 8000.00 घन मी० खनिज साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), का उत्पादन अनुमन्य होगा।
- (ब) अनुमोदित खनन योजना में विनिहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञाधारक द्वारा खनन कार्य नहीं पाये जाने पर अनुज्ञाधारक के विरुद्ध अनुज्ञा की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा, जिसके लिये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ग) अनुज्ञाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रमाणित प्रति संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय, खनिज अनुभाग एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखार्थ प्रस्तुत करना होगा।
- (द) खनन योजना को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है:-

1. साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), हटाने का कार्य भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने के उद्देश्य से किया जायेगा।
2. बाढ़ से एकत्र साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), हटाने का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु० - 07 दिनांक 01/05/2020 उ० प्र० शासन तथा उ० प्र० उपखनिज परिहार नियमावली 2021 एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ० प्र० शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं शासनदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
3. साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), की निकामी इस प्रकार की जायेगी कि क्षेत्र में गड्ढे (पाण्डिंग इफेक्ट) न हो।
4. साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), निकामी के मार्ग पर जल का छिड़काव किया जायेगा, ताकि वाहनों के आवागमन में धूल उत्पन्न न हो।
5. पर्यावरण स्वच्छता के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
6. अगल - बगल के खेतों को क्षति न पहुँचे।
7. प्रस्तावित क्षेत्र में खनन कार्य sustainable sand mining management Guideline 2016 Enforcement and monitoring guideline for sand mining 2020 एवं National green Tribunal में दिए गये निर्देशानुसार ही संपादित किया जायेगा।

(नवीन कुमार दास)
संयुक्त निदेशक।

संख्या :- (1)/मा० प्लान 2024/8/7/392160, तद् दिनांक

तिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, जनपद- Sambhal
- 2- श्री Larendra ग्राम-Jafarpur तहसील-Gunnaur, जनपद- Sambhal

Digitally signed by NAVEEN KUMAR DAS
Date: 20 Aug 2024 14:38:37

(नवीन कुमार दास)
संयुक्त निदेशक।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

क्रमांक :- /एम०-ख०यो०अनुजा पत्र(कृषिकीय भूमि) / 2024/6/3/360299

दिनांक :- 2024-06-13

श्री Smt. ANURADHA के द्वारा जनपद- Sambhal, तहसील-Gunnaur, ग्राम-HOTAMGARHI KHAM, गाटा सं०-319 क्षेत्रफल- 0.9100 हे० में भूमिधरणी कृषिकीय भूमि पर जमा साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), को हटाने हेतु 03 माह की खनन अनुजा पत्र के लिए प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 (यथासंशोधित) के नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेश दिनांक 2024-06-13 द्वारा कर दिया गया है।

- (अ) "खनन योजना" का अनुमोदन खनन अनुजा पत्र की अवधि के लिए किया जाता है। स्वीकृत क्षेत्र में अनुजा अवधि 03 माह में अधिकतम 17000.00 घन मी० खनिज साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), का उत्पादन अनुमत्त होगा।
- (ब) अनुमोदित खनन योजना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अनुजाधारक द्वारा खनन कार्य नहीं पाये जाने पर अनुजाधारक के विरुद्ध अनुजा की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा, जिसके लिये नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ग) अनुजाधारक द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रमाणित प्रति संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय, खनिज अनुभाग एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखाध्यक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (द) खनन योजना को निम्नलिखित अनिर्गन्त शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है:-

1. साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), हटाने का कार्य भूमि को कृषि योग्य बनाये जाने के उद्देश्य से किया जायेगा।
2. बाढ़ से एकत्र साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), हटाने का कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु० - 07 दिनांक 01/05/2020 उ० प्र० शासन तथा उ० प्र० उपखनिज परिहार नियमावली 2021 एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उ० प्र० शासन द्वारा समय - समय पर निर्गत निर्देशों एवं शासनदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
3. साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), की निकामी इस प्रकार की जायेगी कि क्षेत्र में गड्ढे (पाण्डिंग इफेक्ट) न हो।
4. साधारण बालू (प्रथम श्रेणी), निकामी के मार्ग पर जल का छिड़काव किया जायेगा, ताकि बाढ़ों के आवागमन में धूल उत्पन्न न हो।
5. पर्यावरण स्वच्छता के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
6. अगल - बगल के खेतों को क्षति न पहुँचे।
7. प्रस्तावित क्षेत्र में खनन कार्य sustainable sand mining management Guideline 2016 Enforcement and monitoring guideline for sand mining 2020 एवं National green Tribunal में दिए गये निर्देशानुसार ही संपादित किया जायेगा।

(नवीन कुमार दास)
संयुक्त निदेशक।

क्रमांक :- (1)/मा० प्लान 2024/6/3/360299, तद् दिनांक

Digitally signed by NAVEEN KUMAR DAS
Date: 13 Jun 2024 17:27:26

निलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, जनपद- Sambhal
- 2- श्री Smt. ANURADHA ग्राम-HOTAMGARHI KHAM तहसील-Gunnaur., जनपद- Sambhal

(नवीन कुमार दास)
संयुक्त निदेशक।

CHAPTER- 5

5.0 DEVELOPMENT AND PRODUCTION PROGRAMME:

5.1 Methodology of Mining: [Proposed Mining Method]

- The proposed project is to mine Sand from gata(s) as per agreement sustainably and scientifically.
- Before start mining overburden of soil will be removed from the sand deposit.
- Mining will be opencast manual mining with depth of approx. 1.87 meter
Following geo-scientific methods are proposed to carry out the mining activity
- The applied area is more than 250m. Away from the main stream of river Ganga river and the proposed activity will not affect the flow of river in any mean, so there will not be any adverse effect on the river by this activity.
- The applied area is a personal land (khatauni has been attached as Annexure-III) which has flooded Ordinary Sand carried by river Ganga during past floods and the proposed area has not included in the process of e- tendering as per U.P Govt. order No. 2027/86-2019-57 (Sa.)/2017, Dated 30 August, 2019 under Rule 52 (Amended) of U.P. Minor Mineral (concession) Rules 2021.
- The proposed project is to mine Ordinary Sand from gata(s) as per LOI quantity sustainably and scientifically. Mining will be opencast manual mining in the allotted gatas keeping the nearby plot(s) unaffected. Following geo-scientific methods are proposed to carry out the mining activity:
 - Lifting of Ordinary Sand will be confined to allotted gata(s) only up to a maximum thickness of up to 1.87 mt. from the surface; parameters & provision of MCR-1960 and MMR 1961 will be followed strictly.
 - The lifting of Ordinary Sand shall be done during daytime only in order to avoid environmental pollution or any accidental hazards.
 - The Exploited sand shall be loaded into Tractors, Trolleys with the help of Agricultural tractor loaders and dispatched to various parties.
 - Only 90 working days has been assumed for calculation purpose.
 - After completion of lifting of Ordinary Sand the topsoil shall be spared over the excavated area to make the land arable to restore the fertility of land.
 - 3m wide haul road shall be made at 1:16 gradient to the next level.
 - No drilling and blasting is required.



संख्या- 446/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी0सी0-1

प्रेषक,

संजय सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0-7

लखनऊ: दिनांक: 01 मई, 2020

विषय-पर्यावरणीय अनापत्ति की अनिवार्यता में छूट के निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ई0आई0ए0 अधिसूचना 2006 (यथासंशोधित) सपटित अधिसूचना सं0-1224 (अ) दिनांक 28-03-2020 के परिशिष्ट-9 में निम्न क्रियाकलापों को पूर्व पर्यावरणीय सहमति की अपेक्षा से छूट प्रदान की गई है :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।
4. ग्राम पंचायत में अवरिथत स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।
5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।
6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।
7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।
8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं0-जीयू/90(16)/एमसीआर-2189(68)/5-सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।
9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।
10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।
11. यथारिथति, ऐसे भयनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।


12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सके।
13. "ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

2- भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं०-3204/86-2014-278-2011 दिनांक 22-10-2014 (उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 37वें संशोधन 2014) में किये गये प्राविधानों के अधीन यह उल्लेख किया गया है कि:-

"ईट एवं मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु हस्तसंचालन से खुदाई द्वारा अथवा हस्तसंचालन से साधारण मृदा, सामान्य मिट्टी को निकालने की क्रिया, खनन संक्रियाओं के अन्तर्गत नहीं आएगी, प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी खुदाई अथवा खनन के फलस्वरूप उत्पन्न गड़बड़ों की गहराई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।"

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उपरोक्त ई०आई०ए० अधिसूचना दिनांक 28-3-2020 में उल्लिखित क्रियाकलापों में छूट के अन्तर्गत उ०प्र० उप खनिज परिहार नियमावली (37वें संशोधन) 2014 के प्राविधानों के अनुसार ईट बनाने हेतु हस्तचालित विधि से 02 मीटर की गहराई तक साधारण मृदा/सामान्य मिट्टी की खुदाई के लिये पूर्व पर्यावरणीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3- अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना दिनांक-28.03.2020 का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या-446(1)/81-7-2020-39(पर्या)/2014 टी०सी०-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, पर्यावरण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।